

14.10.19 पक्षावली पेश हुई। अधिवक्ता
वादीगण द्वारा "No Instruction please"
किया गया। वादीगणों को निरन्तर आवाज
दिलवाई गई। अनुपस्थित है अतः
अधी. वाद वादीगण अदम हाजरी
में खारिज किया जाता है।

No inst.
[Signature]

पक्षावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम है।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
वल्लभनगर